न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर 136 /2022 राजस्व वाद

01. प्रहलादराय अचारत पुत्र श्री डालू अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गोपाल अचारत पुत्र श्री डालू अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्रीमती नानी बाई पत्नी श्री डालू अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. मांगी पुत्री श्री डालू अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीगण

बनाम

01. जगदीश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी लाल राठौड़ आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सांवरमल पुत्र श्री रामचन्द अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भेरू पुत्र श्री रामचन्द अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुरेश पुत्र श्री रामचन्द अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. श्रीमती चांदी पत्नी श्री रामचन्द अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मथुरा लाल पुत्र श्री नन्दा कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. जगदीश पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. लालू पुत्र श्री नन्दा कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. मोती पुत्र श्री सोहन लाल अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. जमना लाल पुत्र श्री गोगा अचारत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. रामा पुत्र श्री उदा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बेलिया का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थी / वादी
2. एकपक्षीय– —प्रतिवादी संख्या 01 से 11
3. पेशकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 12

दिनांक– 11 / 08 / 2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 183 आर.टि.एक्ट
...के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद बेलिया खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
...राज0) मे आराजी नम्बर 7311 रकबा 0.5564 हैक्टयर, आराजी नम्बर 9009 / 7311 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी
...म्बर 9112 / 7311 रकबा 0.3794 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 9008 / 7311 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि स्थित है,
...कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण वादपत्र
...चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा
...गण ने उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
...ड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 48 / 2021 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए,
...का निर्णय दिनांक 30 तीस जून 2021 दो हजार इक्कीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक
...यत 11 ग्यारह को होने पर माह मार्च 2022 दो हजार बाईस मे आराजी नम्बर 7311 मे से लगभग रकबा 0.
...हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 व लगभग रकबा 0.0632 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 एवं
...जी नम्बर 9009 / 7311 मे लगभग 0.0759 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा आराजी नम्बर 9008 / 7311 मे
...0.1011 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा व आराजी नम्बर 9112 / 7311 मे रकबा लगभग 0.0695
...र पर प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा व रकबा 0.0189 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 09 द्वारा व रकबा लगभग 0.
...हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 दस द्वारा व रकबा लगभग 0.0253 पर प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा कब्जा कर

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

गोपाल

अपनी आराजी मे मिला दिया, जिससे दिनांक 12 बारह जून 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजी पत्थरगढ़ी
गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 का
उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 का कोई हक
अधिकार नही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एंव 11 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे
वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जो को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 11 ग्यारह ने कोई
ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 05 पांच सितम्बर 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर
किये गये कब्जो को छोडकर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक
लगायत 11 वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ने
वादीगण को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह उक्त
आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह का कुछ नही बिगाड
सकता है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं
प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 12 बारह के विरूद्ध इस आशय की कब्जोयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना
आवश्यक है कि सरहद बेलिया खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण की
आराजी नम्बर 7311 मे से लगभग रकबा 0.0253 हक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा, व लगभग रकबा 0.0632
हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 एवं आराजी नम्बर 9009/7311 मे लगभग 0.0759 हैक्टयर पर
प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा आराजी नम्बर 9008/7311 मे लगभग 0.1011 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा व
आराजी नम्बर 9112/7311 मे रकबा लगभग 0.0695 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा व रकबा 0.0189
हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 09 द्वारा व रकबा लगभग 0.0160 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 दस द्वारा व रकबा
लगभग 0.0253 पर प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा एंव आराजी नम्बर 9008/7311, 9009/7311, 9112/7311 मे
लगभग 0.1265 हैक्टयर रास्ता के रूप मे अवैध काम आ रही है, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 का कब्जे को
हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया ,
लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप
शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया
व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया
गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार
हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया
गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 का अवैध कब्जा पाया
गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत
11 ने सरहद बेलिया खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण की आराजी
नम्बर 7311 मे से लगभग रकबा 0.0253 हक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा, व लगभग रकबा 0.0632 हैक्टयर प
प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 एवं आराजी नम्बर 9009/7311 मे लगभग 0.0759 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 0
द्वारा आराजी नम्बर 9008/7311 मे लगभग 0.1011 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा व आराजी नम्
9112/7311 मे रकबा लगभग 0.0695 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा व रकबा 0.0189 हैक्टयर पर प्रतिव
संख्या 09 द्वारा व रकबा लगभग 0.0160 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 दस द्वारा व रकबा लगभग 0.0253
प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा एंव आराजी नम्बर 9008/7311, 9009/7311, 9112/7311 मे लगभग 0.1265 हैक्
रास्ता के रूप मे अवैध काम आ रही है, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 का कब्जे को हटाक द्वारा किये गये
को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी
पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद
की जावे। यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

: मूल वाद में डिक्री :

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी – योगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 135 / 2022 राजस्व वाद

01. प्रहलादराम अचावत पुत्र श्री दल्लू अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गोपाल अचावत पुत्र श्री दल्लू अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्रीमती नानी बाई पत्नी श्री दल्लू अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. नानी पुत्री श्री दल्लू अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादीगण

बनाम

01. जगदीश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी लाल राठौड़ आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सत्यनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. छोटू पुत्र श्री रामचन्द्र अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुरेश पुत्र श्री रामचन्द्र अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. श्रीमती [illegible] पत्नी श्री रामचन्द्र अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मथुरा लाल पुत्र श्री नन्दा कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. जगदीश पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. लादू पुत्र श्री नन्दा कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. मोती पुत्र श्री सोहन लाल अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. जमना लाल पुत्र श्री गोपा अचावत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. राजा पुत्र श्री उदा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बेलिया का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु</u>

वादीगण की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की स्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निस्तारण के लिये पेश पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखा प्रतिशत [illegible] की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा शून्य को दी जावें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एवं [illegible]त 11 ने सरहद बेलिया खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण [illegible]राजी नम्बर 7311 मे से लगभग रकबा 0.0253 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा, व लगभग रकबा [illegible]2 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 एवं आराजी नम्बर 9009/7311 मे लगभग 0.0789

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

गोपाल

हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा आराजी नम्बर 9008/7311 मे लगभग 0.1011 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा व आराजी नम्बर 9112/7311 मे रकबा लगभग 0.0695 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा व रकबा 0.0189 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 09 द्वारा व रकबा लगभग 0.0160 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 दस द्वारा व रकबा लगभग 0.0253 पर प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा एंव आराजी नम्बर 9008/7311, 9009/7311, 9112/7311 मे लगभग 0.1265 हैक्टयर रास्ता के रूप मे अवैध काम आ रही है, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 का कब्जे को हटाक द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिकी जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)